कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/मा/माध्य/मा–द/अंग्रेजी माध्यम/प्रवेश/ 66181/2022–23/02360 **दिनांकःयथा हस्ताक्षर**

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा (समस्त जिले)।

संस्था प्रधान,
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/
राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (समस्त)।

विषयः– महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षण/प्रवेश कार्य संचालन सत्र 2025–26 के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सत्र 2025–26 हेतु नवीन प्रवेश प्रक्रिया/शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु समय–सारणी निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है। सत्र 2025–26 मे प्रवेश हेतु अभिभावकों से आवेदन पत्र, ऑनलाईन (शालादर्पण/क्यू आर कोड माध्यम) भरवाया जाकर लॉटरी, ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा सम्पादित कर प्रवेश किया जाना है। प्रवेश के संबंध मे दिशा–निर्देश संलग्न किये जा रहे है व ऑनलाईन आवेदन के संबंध मे दिशा–निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

प्रवेश कार्यक्रम का क्षेत्राधिकार में अधिकाधिक प्रचार–प्रसार करावें।

क्र.सं.	कार्यक्रम का विवरण	निर्धारित तिथि/समयावधि
1	विज्ञप्ति जारी करना	06.05.2025
2	प्रवेश हेतु आवेदन पत्र लेने की समयावधि	07.05.25 से 15.06.25
3	प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनों की सूची व कक्षावार रिक्तियों की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना	16.06.25
4	लॉटरी निकालने की तिथि	17.06.25
5	लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना।	18.06.25
6	प्रवेश कार्य	19.06.25 से
7	शिक्षण प्रारम्भ	01.07.25 से

(आशीष मोदी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date: 2025.05.02 18:57:56 IST
Reason: Approved

क्रमांकःशिविरा/मा/माध्य /मा–द/अंग्रेजी माध्यम/प्रवेश/ 66181/2022–23/0236[illegible] **[illegible]यथा हस्ताक्षर**

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शि[illegible] भाषा विभाग, [illegible]

RajKaj Ref No.: 14771955

3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि), राजस्थान, बीकानेर।
5. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), शिक्षा संकुल, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (समस्त सम्भाग)।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त जिले)।
9. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा (समस्त जिले)।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा (समस्त ब्लॉक)।
11. **उपनिदेशक, शाला दर्पण, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर एवं सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, प्रा.शि/मा.शि.,राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि राजकीय विद्यालयों को शाला दर्पण पोर्टल पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के रूप में प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करें ताकि निर्धारित समयावधि में प्रवेश हेतु आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के Home Page के माध्यम से ऑनलाईन किए जा सके।**
12. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. वरिष्ठ सम्पादक 'शिविरा', प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
14. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
15. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक
(महात्मा गांधी विद्यालय)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date: 2025.05.02 13:57:56 IST
Reason: Approved

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश हेतु दिशा—निर्देश ::

1. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सत्र 2025—26 के लिये नवीन प्रवेश का कार्य दिनांक 06.05.2025 से प्रारम्भ किया जाना है।
2. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों जिनमें प्री—प्राइमरी कक्षाएं एवं बाल वाटिकाएं संचालित की जा रही है उनमें कक्षा नर्सरी में समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जायेगा तथा शेष कक्षाओ मे क्रमोन्नत/उत्तीर्ण विद्यार्थियो के प्रवेश उपरान्त शेष रही सीटो पर प्रवेश दिया जायेगा।
3. ऐसे महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहां बाल वाटिकाएं संचालित नही है तथा जहां शुरूआती कक्षा, कक्षा प्रथम मे समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जायेगा तथा शेष कक्षाओ मे पूर्व कक्षाओ से क्रमोन्नत/उत्तीर्ण विद्यार्थियो के प्रवेश उपरान्त शेष रही सीटो पर प्रवेश दिया जायेगा।
4. जिन कक्षाओ का परीक्षा परिणाम तत्समय तक जारी नही हो, तो ऐसी कक्षाओ मे अध्ययनरत छात्र/छात्राओ को एकबारगी उत्तीर्ण मानते हुए उन्हे आगामी कक्षा मे क्रमोन्नत मानते हुए शेष सीटो पर प्रवेश प्रक्रिया की जानी है तथा परिणाम जारी होने उपरान्त वास्तविक रिक्त सीटो के क्रम मे प्रवेश कार्य किया जाना है।
5. महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहां सत्र 2024—25 मे कक्षा 1 से 5 /कक्षा 1 से 6/कक्षा 1 से 7/कक्षा 1 से 9/कक्षा 1 से 11 का संचालन किया जा रहा था वहां सत्र 2025—26 में क्रमशः कक्षा 6/कक्षा 7/कक्षा 8/कक्षा 10/कक्षा 12 अंग्रेजी माध्यम का संचालन किया जायेगा व उक्त कक्षाओ मे पूर्व मे अध्ययनरत छात्र/छात्राओ के प्रवेश उपरान्त शेष रही सीटो पर ही प्रवेश दिया जायेगा।
6. वर्तमान में जिन महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक अंग्रेजी माध्यम संचालित है व जिनमे कक्षा 11, प्रथम बार संचालित की जानी है, मे संकाय स्वीकृति उपरान्त प्रवेश प्रक्रिया के लिये बाद में अलग से दिशा—निर्देश जारी किये जायेगे।
7. महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए RTE के मानकों के अनुरूप सैक्शन निर्धारित किये गये हैं। कक्षा—01 से 05 तक 30 विद्यार्थी प्रति सैक्शन, कक्षा 6 से 8 में 35 विद्यार्थी प्रति सेक्शन, कक्षा 9 से 12 में 60 विद्यार्थी प्रति सेक्शन निर्धारित रहेंगे। सत्र 2025—26 मे विद्यार्थियो को प्रवेश दिये जाने के संबंध मे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 21.07.2024 की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।
8. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं.4(15) शिक्षा—1/2022 जयपुर दिनांक [illegible]07.2022 की पालना में भामाशाह द्वारा गोद लेकर 50 लाख रूपये से अधिक राशि [illegible] करवाए गए हैं अथवा सम्पूर्ण विद्यालय भवन निर्मित कर जिसमें 50 लाख रुपये से अधिक राशि का व्यय हुआ हैं, दान दिया गया है। ऐसे भामाशाहों की अभिशंषा पर संबंधित विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date: 2025.05.02 18:57:56 IST
Reason: Approved

अधिकतम 2 एवं सम्पूर्ण विद्यालय में प्रतिवर्ष अधिकतम 10 विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने हेतु प्रवेश कोटा निर्धारित किया गया है। यह कोटा उक्त विद्यालयों में संचालित कक्षाओं की निर्धारित सीटों के अतिरिक्त सीटों के लिए होगा।

9. इन विद्यालयों में प्रति सैक्शन निर्धारित सीटों व उपरोक्तानुसार (क्र.स–7) के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के कोटे का प्रावधान नहीं रखा गया हैं।

10. प्रवेश सम्बन्धी कार्य पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से निष्पादित करवाये जाने हेतु सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा जहाँ प्रधानाचार्य नहीं है, वहाँ वर्तमान पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान उक्त कार्य करेंगे।

11. महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सत्र 2025–26 के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) नोडल अधिकारी होगें तथा ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय (ACBEO-II) नॉडल अधिकारी होगें, जिनकी देखरेख में प्रवेश कार्य सम्पादित किया जाएगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय का पद रिक्त होने की स्थिति में यह कार्य सन्दर्भ व्यक्ति (आर.पी.) द्वितीय करेगें।

12. आवेदन पत्र ऑनलाईन (शालादर्पण पोर्टल/क्यू आर कोड माध्यम) भरवाये जाकर लॉटरी प्रक्रिया ऑनलाईन संपादित कर क्रमवार वरीयता सूची तैयार की जायेगी, जिसे संलग्न समय–सारणी के अनुसार विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा, जिससे भविष्य मे रिक्त होने वाली सीटों को पूर्ण पारदर्शिता से भरा जा सके।

13. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा./माध्य./मा–द./अंग्रेजी माध्यम/प्रवेश/66181/2022–23/112 दिनांक 16.07.2022 की पालना में रूपांतरित विद्यालय में पूर्व अध्ययनरत विद्यार्थियों में से उसी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत रहने का विकल्प देने वाले सभी विद्यार्थी उसी रूपातंरित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अपना अध्ययन नियमित रख सकेंगे।

(आशीष मोदी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date: 2025.05.02 13:57:56 IST
Reason: Approved